




कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत श्री आलोक कुमार सी-109, अरिहन्त हारमनी, अहिंसाखण्ड-2, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के आवेदन प्राप्ति दिनांक 05.07.13 के क्रम में वांछित सूचना निम्नानुसार है :-

1. प्लॉट सं.-17, अहिंसाखण्ड-1 इन्दिरापुरम गाजियाबाद में कुल अनुमन्य 2.25 एफ.ए.आर. है जिसके अतिरिक्त 2.5 एफ.ए.आर. व उसके उपरान्त 33 प्रतिशत कय योग्य एफ.ए.आर अनुमन्य है जिस पर नियमानुसार शुल्क प्राप्त किये गये हैं।
2. मानचित्र में कुल 427 वर्गमी. क्षेत्रफल शमन किया गया है जिस पर शासनादेशों के अनुसार शमन शुल्क आरोपित किया गया है।
3. बिन्दु सं.-1 व 2 के अनुसार।
4. वर्ष 2011 में कय योग्य एफ.ए.आर. शुल्क की प्राप्ति व वर्ष 2012 में शमन में आरोपित शुल्क की प्राप्ति हुई है।

  
लिपिक

  
अवर अभियन्ता

  
सहायक अभियन्ता